मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 919 /कार्या0–उपा0/2019–20 दिनांक: 31.12.2019

आदेश

प्रायः देखा जा रहा है कि सड़क निर्माण/सड़क सुदृढ़ीकरण के कार्यों में, कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व के फोटोग्राफ जिसमें स्थल के आस–पास की लोकेशन दर्शित हो, पत्रावली पर संरक्षित नहीं किये जा रहे हैं, जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ स्थल के किस भाग के हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सड़क निर्माण/सुदृढ़ीकरण/गड्ढामुक्ति के कार्यों में, कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त के फोटोग्राफ्स (जिसमें स्थल की लोकेशन स्पष्ट दर्शित हो) के साथ–साथ उक्तानुसार, आगणन की मदों की तकनीकी विशिष्टियों की पृथक–पृथक स्टेज की वीडियोग्राफी, प्राधिकरण के अधिकृत वीडियोग्राफर से कराकर पत्रावली पर संरक्षित रखा जाये, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसी प्रकार अन्य निर्माण एवं विकास कार्यों/विद्युत सम्बन्धी कार्यों में भी उक्त का अनुपानलन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही कार्य के भुगतान की पत्रावली अग्रसारित की जाये। कार्य–स्थल के चेनेजवार फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफी कराने एवं संरक्षित रखने का दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपिः–

1. सचिव को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अधीक्षण अभियन्ता को अनुश्रवण करने हेतु।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को अनुपालनार्थ।
5. प्रभारी–रखरखाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।